



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225244
CG-DL-E-18022021-225244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942

No. 666]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ.723(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3491(अ) तारीख 05 अक्तूबर 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 08 अक्तूबर 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेलंगाना राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 31 अक्तूबर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और धारा 13 अधीन पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी और किसी भी राज्य सरकार या कार्पोरेशन के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल: मनोपाड		जिला: जोगुलांबा गडवाल		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मनोपाड	4. जल्लापुर	169(नाला)	00	01
2	मनोपाड	5. बोरवल्ली	नाला	00	03
3			121	00	06
4			117	00	01
5			114	00	01
6			97/1	00	07
7			97/2	00	01
8			87	00	04
9			75(कच्चा रास्ता)	00	07
10			74	00	01
11			72(नहर)	00	04
12			69	00	12
13			68	00	02
14			65	00	06
15			63	00	01
16			62	00	11
17			पेद्दा वागु	00	05
18			45	00	01
19			48	00	04
20	मनोपाड	6. पल्लेपाडु	कच्चा रास्ता	00	03

21			146	00	01
22			144(नहर/कच्चा रास्ता)	00	02
23			169	00	06
24			171	00	01
25			181	00	06
26			178	00	02
27			192	00	01
28			सड़क	00	02
29			236	00	01
30			239/1	00	05
31			247/2	00	06
32			253/2	00	19
33	मनोपाड	7. मंगमपेट	2	00	04
34			10	00	06

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 723(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3491(E) dated the 05th October 2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 08th October 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Telangana for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 31 October 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of

Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Manopad		Dist: Jogulamba Gadwal		State: Telangana	
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Manopad	4. Jallapur	169(Nala)	00	01
2	Manopad	5. Boravalle	Nala	00	03
3			121	00	06
4			117	00	01
5			114	00	01
6			97/1	00	07
7			97/2	00	01
8			87	00	04
9			75(Cart Track)	00	07
10			74	00	01
11			72 (Canal)	00	04
12			69	00	12
13			68	00	02
14			65	00	06
15			63	00	01
16			62	00	11
17			Pedda Vagu	00	05
18			45	00	01
19			48	00	04
20	Manopad	6. Pallepadu	Mud Road	00	03
21			146	00	01
22			144(Canal/Cart track)	00	02
23			169	00	06
24			171	00	01
25			181	00	06
26			178	00	02
27	Manopad	6. Pallepadu	192	00	01
28			Village Road	00	02
29			236	00	01
30			239/1	00	05
31			247/2	00	06
32			253/2	00	19
33	Manopad	7. Mangampet	2	00	04
34			10	00	06

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 724(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना भूतपुर मंडल, जिला महबूबनगर, तेलंगाना राज्य से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितद्व है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मोड्यूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ. ए. एस. रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद - 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल: भूतपुर		जिला: महबूबनगर		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भूतपुर	1. कप्पेटा	263	00	01
2			260	00	03
3			256	00	01
4			255	00	02
5			229	00	04
6			225	00	18
7			218/13	00	11
8	भूतपुर	2. पात मोलगरा	255	00	03
9			314	00	01
10			316	00	07
11	भूतपुर	3. कोत्त मोलगरा	334	00	07
12			354	00	08
13			36	00	05
14			35	00	02
15			8	00	03
16			96	00	11

17	भूतपुर	4. भूतपुर	302	00	04
18			301	00	05
19	भूतपुर	5. कोतुर	208	00	33
20			205	00	03
21			203	00	04
22			233	00	05
23			236	00	03
24			45	00	05
25	भूतपुर	6. ताडिपरती	272/2	00	02
26			272/3	00	03
27			272/14	00	02
28			254	00	07
29			254 (सड़क)	00	01
30			268	00	12
31	भूतपुर	6. ताडिपरती	267 (रास्ता)	00	01
32			261	00	13
33			262	00	06
34			233	00	03
35			211	00	03

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 724(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Bhoothpur Mandal of Mahbubnagar District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Shri. B. Venkateshwarlu, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr. A. S. Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad – 500062.

SCHEDULE

Mandal: Bhoothpur		Dist: Mahbubnagar		State: Telangana	
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bhoothpur	1. Kappeta	263	00	01
2			260	00	03
3			256	00	01
4			255	00	02
5			229	00	04
6			225	00	18
7			218/13	00	11
8	Bhoothpur	2. Patha Molgara	255	00	03
9			314	00	01
10			316	00	07
11	Bhoothpur	3. Kotha Molgara	334	00	07
12			354	00	08
13			36	00	05
14			35	00	02
15			8	00	03
16			96	00	11
17	Bhoothpur	4. Bhoothpur	302	00	04
18			301	00	05
19	Bhoothpur	5. Kothur	208	00	33
20			205	00	03
21			203	00	04
22			233	00	05
23			236	00	03
24			45	00	05
25	Bhoothpur	6. Tadparti	272/2	00	02
26			272/3	00	03
27			272/14	00	02
28			254	00	07
29			254 (Village Road)	00	01
30			268	00	12
31			267 (Cart Track)	00	01
32			261	00	13
33			262	00	06
34			233	00	03
35			211	00	03

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना**नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021**

का.आ. 725(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना श्रीरंगपुर मंडल, जिला वनापरथी, तेलंगाना राज्य से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मोड्यूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ.ए.एस.रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद - 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल: श्रीरंगपुर		जिला: वनापरथी		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	एकर्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीरंगपुर	1. वेंकटापुर	332/22	00	01
2			332/24	00	02
3			332/26	00	02
4			332/29	00	01
5			336	00	01
6			337	00	01
7			303	00	02
8			306	00	02
9			285	00	01
10			173	00	01
11			126	00	01
12	श्रीरंगपुर	2. श्रीरंगपुर	288	00	05
13			292	00	03
14			203	00	02
15			729	00	22
16			750	00	04
17			566	00	01

18	श्रीरंगापुर	3. कंबालापुर	589	00	01
19			569	00	03
20			725/10	00	05
21			725/3	00	02
22			724	00	02
23			52	00	02
24			53	00	02
25			70/1	00	01
26			82	00	01
27			85	00	01
28	श्रीरंगापुर	4. थाटीपामुला	478	00	02
29			606	00	01
30	श्रीरंगापुर	4. थाटीपामुला	575	00	02
31			593	00	06
32			592	00	03
33			5/1	00	03
34			43	00	01
35			57	00	01
36			5/6	00	12
37			5	00	03

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 725(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Srirangapur Mandal of Wanaparthy District of Telangana State, and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Sri. B. Venkateshwarlu, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr.A.S.Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad-500062.

SCHEDULE

Mandal: Srirangapur		Dist: Wanaparthy		State: Telangana	
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Srirangapur	1. Venkatapura	332/22	00	01
2			332/24	00	02
3			332/26	00	02
4			332/29	00	01
5			336	00	01
6			337	00	01
7			303	00	02
8			306	00	02
9			285	00	01
10			173	00	01
11			126	00	01
12	Srirangapur	2. Srirangapur	288	00	05
13			292	00	03
14			203	00	02
15			729	00	22
16			750	00	04
17			566	00	01
18	Srirangapur	3. Kambalapur	589	00	01
19			569	00	03
20			725/10	00	05
21			725/3	00	02
22			724	00	02
23			52	00	02
24			53	00	02
25			70/1	00	01
26			82	00	01
27			85	00	01
28	Srirangapur	4. Thatipamula	478	00	02
29			606	00	01
30	Srirangapur	4. Thatipamula	575	00	02
31			593	00	06
32			592	00	03
33			5/1	00	03
34			43	00	01
35			57	00	01
36			5/6	00	12
37			5	00	03

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 726(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना पेब्लर मंडल, जिला वनापरथी, तेलंगाना राज्य से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मोडयूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ. ए. एस. रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद - 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल: पेब्लर		जिला: वनापरथी		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पेब्लर	1. बुरदीपाडु	1/3	00	01
2			196/2	00	04
3			194	00	02
4			10/1	00	01
5			12/1	00	01
6	पेब्लर	2. शुकुर	443	00	08
7	पेब्लर	3. रामेश्वरपुर	187	00	01
8			193/1(सड़क)	00	01
9			197	00	03
10			234	00	04
11			230	00	10
12			100	00	02
13			99	00	02
14			102	00	09
15			96	00	04
16			72	00	04

[फा.सं. आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 726(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Pebbair Mandal of Wanaparthy District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Shri. B. Venkateshwarlu, the Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr. A. S. Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad - 500062.

SCHEDULE

Mandal: Pebbair		Dist: Wanaparthy		State: Telangana	
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pebbair	1. Burdipadu	1/3	00	01
2			196/2	00	04
3			194	00	02
4			10/1	00	01
5			12/1	00	01
6	Pebbair	2. Shukur	443	00	08
7	Pebbair	3. Rameshwarpur	187	00	01
8			193/1 (Village Road)	00	01
9			197	00	03
10			234	00	04
11			230	00	10
12			100	00	02
13			99	00	02
14			102	00	09
15			96	00	04
16			72	00	04

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 727(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना घनपुर मंडल, जिला वनापरथी, तेलंगाना राज्य से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोड्यूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ. ए. एस. रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद - 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल: घनपुर		जिला: वनापरथी		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	घनपुर	1. सोलीपुर	126	00	01
2			109	00	03
3			87	00	01
4			88	00	04
5			92	00	02
6			90	00	01
7			78	00	01
8			77	00	03
9	घनपुर	2. मानजीपेट	222	00	04
10			57	00	04
11			233	00	01
12			270	00	03
13			357	00	01
14			356	00	02
15			346	00	01
16			315	00	01
17			318/3	00	16
18	घनपुर	3. मल्कापुर	109	00	01
19			97	00	05
20			35	00	02
21			42	00	04

22	घनपुर	4. घनपुर	605	00	01
23			596	00	02
24			583	00	04
25			415	00	02
26			407	00	02
27			744	00	01
28			818	00	01
29			880	00	03
30			937	00	03
31	घनपुर	5. आगारम	124	00	01
32			111	00	01
33			115	00	03
34			96	00	03
35			94	00	01
36			54	00	01
37			53	00	01
38	घनपुर	6. कमलुद्दीनपुर	242	00	01
39			253	00	01
40			228	00	02
41			227	00	02
42			257	00	01
43			216	00	01
44			270	00	02
45			264	00	01
46			131	00	01
47			130	00	03
48			132	00	02
49			129	00	02
50	घनपुर	7. थीरमलाईपल्ली	258	00	18
51			263	00	04
52			286	00	02
53			303	00	13

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 727(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Ghanpur Mandal of Wanaparthi District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Shri. B. Venkateshwarlu, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr. A. S. Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad - 500062.

SCHEDULE

Mandal: Ghanpur		Dist: Wanaparthi		State: Telangana	
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ghanpur	1. Solipur	126	00	01
2			109	00	03
3			87	00	01
4			88	00	04
5			92	00	02
6			90	00	01
7			78	00	01
8			77	00	03
9	Ghanpur	2. Manajipet	222	00	04
10			57	00	04
11			233	00	01
12			270	00	03
13			357	00	01
14			356	00	02
15			346	00	01
16			315	00	01
17			318/3	00	16
18	Ghanpur	3. Malkapur	109	00	01
19			97	00	05
20			35	00	02
21			42	00	04
22	Ghanpur	4. Ghanpur	605	00	01

23	Ghanpur	4. Ghanpur	596	00	02
24			583	00	04
25			415	00	02
26			407	00	02
27			744	00	01
28			818	00	01
29			880	00	03
30			937	00	03
31	Ghanpur	5. Agaram	124	00	01
32			111	00	01
33			115	00	03
34			96	00	03
35			94	00	01
36			54	00	01
37			53	00	01
38	Ghanpur	6. Kamaluddinpur	242	00	01
39			253	00	01
40			228	00	02
41			227	00	02
42			257	00	01
43			216	00	01
44			270	00	02
45			264	00	01
46			131	00	01
47			130	00	03
48			132	00	02
49			129	00	02
50	Ghanpur	7. Thirmalaipalli	258	00	18
51			263	00	04
52			286	00	02
53			303	00	13

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 728(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना समसाबाद मंडल, जिला रंगारेड्डी, तेलंगाना राज्य से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितद्व है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोड्यूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ. ए. एस. रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद - 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल: समसाबाद		जिला: रंगारेड्डी		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	समसाबाद	1. संगीगुडा	116/2	00	05
2			117/6	00	16
3	समसाबाद	2. डोंड शंकरापुर	24	00	04
4	समसाबाद	3. गोलकुंडा खुर्द	166	00	01
5			172	00	02

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 728(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Shamshabad Mandal of Rangareddy District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Shri. B. Venkateshwarlu, The Competent Authority & Spl.

Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr. A. S. Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad – 500062.

SCHEDULE

Mandal: Shamshabad		Dist: Rangareddy		State: Telangana	
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shamshabad	1. Sanghiguda	116/2	00	05
2			117/6	00	16
4	Shamshabad	2. Dond Shankarapura	24	00	04
5	Shamshabad	3. Golkonda Khurd	166	00	01
6			172	00	02

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 729(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना जड़चरला मंडल, जिला महबूबनगर, तेलंगाना राज्य से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितद्व है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन -चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मोड्यूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ. ए. एस. रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद – 500062. को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल: जड़चेरला		जिला: महबूबनगर		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जड़चेरला	2. आलूर	391	00	01
2			393(रास्ता)	00	01
3			394	00	04
4			422	00	01
5			219	00	01
6			217	00	02
7			228	00	06
8			229	00	09
9			233	00	03
10	जड़चेरला	4. नागसाला	58	00	01
11			62	00	02
12	जड़चेरला	5. नसरुल्लाबद	721	00	15
13			748	00	11
14			780/18	00	11
15			780/19	00	08
16	जड़चेरला	7. गोपुलापुरम	201	00	04
17			51	00	01
18			171	00	04
19	जड़चेरला	8. कोडगल	943	00	08
20			940	00	02
21			947	00	19
22			956	00	01
23	जड़चेरला	8. कोडगल	996	00	03
24			995	00	09
25			997	00	05
26			1019	00	17
27			923/3	00	09
28			923/8	00	08
29			998/8	00	18
30			1018	00	01

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/ई-31417]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 729(E).— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Jadcherla Mandal of Mahbubnagar District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Shri. B. Venkateshwarlu, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr. A. S. Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad – 500062.

SCHEDULE

Mandal: Jadcherla		Dist: Mahbubnagar		State: Telangana	
Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jadcherla	2. Alur	391	00	01
2			393 (Cart Track)	00	01
3			394	00	04
4			422	00	01
5			219	00	01
6			217	00	02
7			228	00	06
8			229	00	09
9			233	00	03
10	Jadcherla	4. Nagasal	58	00	01
11			62	00	02
12	Jadcherla	5. Nasrullabad	721	00	15
13			748	00	11
14			780/18	00	11
15			780/19	00	08
16	Jadcherla	7. Gopulapuram	201	00	04
17			51	00	01
18			171	00	04
19	Jadcherla	8. Kodgal	943	00	08
20			940	00	02
21			947	00	19

22			956	00	01
23	Jadcherla	8. Kodgal	996	00	03
24			995	00	09
25			997	00	05
26			1019	00	17
27			923/3	00	09
28			923/8	00	18
29			998/8	00	18
30			1018	00	01

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/E-31417]

P. SOMA KUMAR, Under Secy